

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टै./ (एफ-27066)/2024/258

दिनांक : 05/06/2024

आदेश

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006 पार्ट-1 दिनांक 08.08.2019, 06.01.2020 एवं 28.01.2020 के तहत श्री सुधीर कुमार, सहायक रेडियोग्राफर (प्रोबेशनरी ट्रेनी) को उनकी प्रार्थना पर स्वयं की अस्वस्थता के कारण रोग/आरोग्य प्रमाण-पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार अवधि का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक व पद	पदस्थापन स्थान	असाधारण अवकाश अवधि
1.	श्री सुधीर कुमार, सहायक रेडियोग्राफर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोलूवाला, हनुमानगढ़।	दिनांक 02.04.2023 से 13.05.2023 तक 42 दिवस एवं 22.05.2023 से 28.05.2023 तक 07 दिवस कुल 49 दिवस

नोट:-कार्मिक की उक्त असाधारण अवकाश अवधि को उनकी परिवीक्षा काल अवधि में अभिवृद्धि मानी जायेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज., जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (एफ-27066)/2024/258

दिनांक : 05/06/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7760496

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :05-06-2024 01:46:10